

राजस्थान-सरकार
सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 44 (4)सैकवि/2024/

दिनांक दिसम्बर 2025

-: कार्यालय आदेश :-

माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में अमलगमेटेड फन्ड फोर दी बेनीफिट्स ऑफ एक्स-सर्विसमेन की 35वीं प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को आयोजित बैठक के ऐजेन्डा बिन्दु संख्या-01 पर लिये गये निर्णय अनुसार अमलगमेटेड फन्ड से दिव्यांग/विशेष योग्यजन या मानसिक रूप से विक्षिप्त पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि की गई है जो सिपाही से हवलदार रैंक तक के ऐसे पूर्व सैनिक और उनके परिवार जिन्हें सेना से डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, को वर्तमान में इस विभाग के आदेश संख्या-प.44(1)रासेबो/96/8712-37 दिनांक 25 सितम्बर 2020 के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में निम्नानुसार बढ़ोतरी की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। शेष पूर्ववर्ती नियम यथावत रहेगे।

वरियता	डिसेबिलिटी का प्रतिशत	वर्तमान में देय आर्थिक सहायता	नवीन स्वीकृत आर्थिक सहायता दिनांक 01.11.2025 से
प्रथम वरियता	80 प्रतिशत एवं अधिक	3000 रुपये प्रतिमाह	6000 रुपये प्रतिमाह
द्वितीय वरियता	60 प्रतिशत से 79 प्रतिशत	2000 रुपये प्रतिमाह	4000 रुपये प्रतिमाह
तृतीय वरियता	40 प्रतिशत से 59 प्रतिशत	1000 रुपये प्रतिमाह	2000 रुपये प्रतिमाह

यह आदेश 01 नवम्बर 2025 को या इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगे।

बिग्रेडियर वीरेन्द्र सिंह राठौड़ (से.नि.)
निदेशक
सैनिक कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :

1. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (समस्त)
2. सम्बन्धित लिपिक
3. लेखाकार फन्ड

निदेशक